बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)-MMGSY-98/2018 /76 /पटना, दिनांक– 26.2.19

प्रेषक,

मो० सोहैल, भा०प्र०से०
अपर सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–103–ग्राम विकास–उप शीर्ष–0113 (सामान्य) अन्तर्गत प्रत्येक योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2018–19** (सामान्य) के लिए कार्य प्रमंडल, **शेरघाटी** के अधीन **44 (चौवालीस)** पथ योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

Sl No.	Division	Category	Block	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sherghati	GEN	Amas	T01 To Yadav Tola (Pranpur Yadav Tola Hote Mauhuwan Yadav Tola)	35	1.648	300	124.100
2	Sherghati	GEN	Amas	T01 To Adaulichak	23	0.899	400	67.195
3	Sherghati	GEN	Amas	S08 To Mircha Manjhila	7	1.100	811	80.729
4	Sherghati	GEN	Amas	T01 To Tetariya	1	0.913	1363	76.531
5	Sherghati	GEN	Amas	T048 To Bankat	32	0.483	303	42.311
6	Sherghati	GEN	Amas	T02 To Bajitpur Das Tola	22	0.724	400	61.163
7	Sherghati	GEN	Amas	T030 To Sihuli (Bahidganj)	15	0.373	500	28.360
8	Sherghati	GEN	Amas	L027 To Ramuachak	6	0.713	831	50.744
9	Sherghati	GEN	Amas	T03 To Mansadih (Chaprdah Kumhar Toli)	10	0.983	660	65.810
10	Sherghati	GEN	Amas	T01 To Gobardhanpur	47	1.314	260	77.317

आरती कुमारी

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati
23/01/2024

Scanned with CamScanner

2-9-6

Sl No.	Division	Category	Block	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Sherghati	GEN	Barachatti	GT Road Tetariya To Lohiya Nagar Mahadalit Tola	19	0.865	400	60.714
12	Sherghati	GEN	Barachatti	Tulachak To Tulachak Miyan Toli	32	1.820	250	141.055
13	Sherghati	GEN	Barachatti	Hadesari To Turi Road	25	2.130	300	142.705
14	Sherghati	GEN	Barachatti	Suraundha To Bharkuyan	28	0.776	265	59.778
15	Sherghati	GEN	Barachatti	Chando Road To Sokhya	7	0.975	963	80.097
16	Sherghati	GEN	Dobhi	T02 To Ghirsindikala	23	0.723	744	45.842
17	Sherghati	GEN	Dobhi	L021 To Bigha PR (Via Nawadih)	57	1.931	283	86.367
18	Sherghati	GEN	Dobhi	T03 To Gadhijam	20	1.818	981	144.763
19	Sherghati	GEN	Gurua	T01 To Jolha Bigha	27	0.865	474	60.132
20	Sherghati	GEN	Gurua	L056 To Fulwariya Baheri	10	0.418	894	30.604
21	Sherghati	GEN	Gurua	L034 To Budhuachak	22	0.555	510	31.752
22	Sherghati	GEN	Gurua	L059 To Lalganj	24	1.183	495	69.265
23	Sherghati	GEN	Gurua	L036 To Rupan Chak Sesari (Barwadih)	7	1.686	1349	113.371
24	Sherghati	GEN	Gurua	T07 To Pachrukhiya	29	1.641	368	112.052
25	Sherghati	GEN	Gurua	T05 To Debariya	9	1.668	969	138.404
26	Sherghati	GEN	Gurua	T07 To Azad Bigha	4	2.113	1490	139.517
27	Sherghati	GEN	Mohanpur	L057 To Middle School Dharhara Via Okhe Khup	17	0.606	480	35.894
28	Sherghati	GEN	Mohanpur	S040 To Pakriya Mahadalit Tola	74	1.105	400	66.130
29	Sherghati	GEN	Mohanpur	L047 Rampur To Bargama	68	1.052	285	78.099
30	Sherghati	GEN	Mohanpur	L035 Rajwar To Gohti	32	1.201	600	88.840
31	Sherghati	GEN	Mohanpur	L035 To Marich Bigha	16	1.272	300	89.606
32	Sherghati	GEN	Mohanpur	T02 To Pwara	20	2.158	250	170.586

आरती कुमारी

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati

Scanned with CamScanner

Sl No.	Division	Category	Block	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	Sherghati	GEN	Mohanpur	T01 To Sheehon	34	1.014	540	90.260
34	Sherghati	GEN	Mohanpur	L021 To Chhotaki Bhawani Bigha	76	2.325	250	190.709
35	Sherghati	GEN	Mohanpur	L035 To Dhamna Via Bajnathpur	36	2.046	282	148.312
36	Sherghati	GEN	Sherghati	L045 To Baheri (Via Garibchak Ghorijara Primary School)	13	2.074	500	143.691
37	Sherghati	GEN	Sherghati	T04 To Chilim	1	1.340	3233	103.328
38	Sherghati	GEN	Sherghati	L029 To Dhab	4	1.025	2333	77.504
39	Sherghati	GEN	Sherghati	L027 To Tilutad	21	1.213	785	97.845
40	Sherghati	GEN	Sherghati	L046 To Baheri (High School Kachauri Baheri)	37	2.224	415	136.368
41	Sherghati	GEN	Sherghati	T01 To Dhandhopur	38	1.235	410	90.014
42	Sherghati	GEN	Sherghati	L055 To Safichak	30	0.967	565	63.533
43	Sherghati	GEN	Sherghati	L042 To Niranjan Tad	57	1.006	256	72.790
44	Sherghati	GEN	Sherghati	T05 To Nauka Dih (Rajiganj)	31	1.400	559	94.817
	Total					55.582		3969.004

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक 23.01.2019 को निम्न शर्तों के साथ इन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है–

(क) इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **शेरघाटी** योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) स्वीकृत योजना की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।

आरती कुमारी

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati
13/01/2024

Scanned with CamScanner

(घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, **शेरघाटी** सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

3. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।

4. इस योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– **BRRDA(HQ)-MMGSY-98/2018** के पृष्ठ–**08**/टि0 पर प्राप्त है।

5. सारणी में अंकित उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–**23.01.2019** को संचिका संख्या– BRRDA(HQ)-MMGSY-**98/2018** के पृष्ठ–**27**/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।

6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।

(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/ विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें।

(ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम–4–53/2007–3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 में निहित निदेशो का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।

(घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

(ड.) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

(च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। एवं कार्यों को स–समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएंगे।

(छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

आरती कुमारी

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati
23/01/2024

Scanned with CamScanner

243

9. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–BRRDA(HQ)-MMGSY-98/18 पृष्ठ संख्या–31/टि0 पर दिनांक 1/2/19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव

26/2/19

ज्ञापांकः BRRDA(HQ)-MMGSY-98/18 176 /पटना, दिनांक– 26.2.19

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, **मगध (गया)** /जिला पदाधिकारी, **गया** /उप विकास आयुक्त, **गया**/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **गया**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **शेरघाटी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

RK

आरती कुमारी

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati
23/01/2024

Scanned with CamScanner

गुख्य अभियंता–1 का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–मु0अ0–1 / प्रा0–05–107 / 2023 2618 (अनु0) पटना, दिनांक– 21/08/2023

प्रेषक,

ई0 खलीकुज्जमा,
मुख्य अभियंता 1,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया।

विषयः–ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के अधीन शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत स्वीकृत कुल 01 (एक) अदद योजना का पथ निर्माण एवं पॉच वर्षीय रख–रखाव कार्य के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक 1063 अनु0 दिनांक 04.08.2023 ·

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कुल 01 (एक) अदद पथ का प्राक्कलन पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है। पथ का नाम प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि पत्र के परिशिष्ट 'क' में अंकित है।

2. प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग एवं राशि क्रमशः परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ क्रमशः 04 एवं 05 में अंकित है।
3. स्वीकृति प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगें।
4. स्थल निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित किया जाय की प्रावैधानित पुल /पुलिया स्थल के आवश्यकता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित करेंगे।
5. अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. अधीक्षण अभियंता, कार्य अचंल, गया ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, दर विश्लेषण कर केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
8. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के चार्ट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है। लम्ब काट एवं आड़ी काट की स्थल जाँच आप स्वयं कर सूचित करेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है।
9. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।
10. पत्र के साथ प्रावैधिक टिप्पणी की प्रति संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

आरती कुमारी

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट 'क'

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी के अधीन शीर्ष एम०एम०जी०एस०वाई० अन्तर्गत पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची:–

क्र० सं०	पथ का नाम	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	प्रशासनिक अनुमोदन का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि (निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्य) (लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	Block:-Amas, S08 To Mircha Manjhila	1.100	Letter N0-176 Date- 26.02.2019	80.729	93.572

अनु०–पुनरीक्षित स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन
ह० 14/08/23
मुख्य अभियंता–1
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

आरती कुमारी

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati
23/01/2024

Scanned with CamScanner

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 02 के अनुसार।

T.S-60
19/08/23

प्रशासनिक स्वीकृति:- परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 के अनुसार।

निदेश

1. पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 06 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि स्वीकृत प्रावैधिक की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति से दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जाये।
3. निर्माण कार्य विभागीय की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सकें।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि वे स्वयं एवं यह सुनिश्चि करेंगे कि विभागीय अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लें, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि प्राप्त प्रस्ताव को अपर्याप्त जलीय आंकड़ा की अनुपलब्धता की स्थिति में अनुमोदित किया गया है। यदि इनके निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए तथा उनके प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार-प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:-

   प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण

   अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रिसेक्सन निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार कर लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाय।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग से अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारीयों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जॉच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अथवा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत समाग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) 72/62 की विशिष्टि का अनुशरण किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वंय निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।
15. अधीक्षण अभियंता सामाग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे, तदोपरांत ही निविदा संबंधी कारवाई की जाये।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय की मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।

Scanned with OKEN Scanner

आरतीकुमारी

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati
23/01/2024

Scanned with CamScanner

17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य से किसी भी तरह से शीर्ष एम0एम0जी0एस0वाई0 की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय–समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हो।

18. स्वीकृत कार्य के विरूद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकूल घटा ली जाये।

19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।

20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय–सीमा के अनुरूप हो।

21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लें की एच0एफ0एल0 बाढ़ स्तर के अनुरूप हो।

22. गुणवत्ता की जांच विभाग के द्वारा गुण नियंत्रण आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन–।। के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।

23. जिन कार्यों का दर अनुसुचित दर पुरितका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारीयों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों के दर का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।

24. पूर्व में कराए गए कार्यो से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।

25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।

26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र–संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वंय कर प्रमाण–पत्र देगें।

27. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकड़ो को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत हीं कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।

28. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेगें कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। तभी इस कार्य का क्रियान्वयन किया जाय।

29. उक्त परियोजना की तकनीकी अनुमोदन राज्य प्रावैधिक संस्थान द्वारा प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों को यथावत रखा गया है।

30. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण समाग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्डर इत्यादि) की ढुलाई निकटस्त अनुमोदित खादान से हीं देय होगी।

31. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/ 14/08/23

मुख्य अभियंता–1,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

आरतीकुमारी

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati
23/01/2024

Scanned with CamScanner

Govt. of Bihar

Rural Works Department

Office of Executive Engineer, Works Division, Sherghati

Notice Inviting Re-Tender (RWD/MMGSY (Gen)/ET/2023-24/01)

Executive Engineer, Rural Works Department, Works Division, Sherghati invites on behalf of Governor of Bihar Percentage rate tenders **(through e-procurement system, SBD Based)** from bonafide, approved and eligible Contractors registered with RWD/RCD/ CPWD/MES/Railways/Other State/ Central Govt. departments for the following **MMGSY (Gen) work** including maintenance for five years after construction of roads.

Sl. No.	Name of Division	Name of Road	Length (in KM)	Total cost (in Lakh)	Bid Security (Rs.Lacs)	Time of Completion (Month)	Cost of BOQ (In Lakh)	Amount Payable to Works Division
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sherghati	S08 TO MIRCHA MANJHILA	1.100	50.13	1.00260	9 Month	10000/-	Executive Engineer RWD, Works Division, Sherghati Payable at Sherghati

Downloading of Bidding Documents : From : 25.09.2023 (09:00) to 02.10.2023 (15:00)

Online Bid Submission end date : 02.10.2023 up to 15:30 Hours

Offline Bid Submission end date : 02.10.2023 up to 15:00 Hours

Online Bid Opening date : 02.10.2023 at 15:30 Hours

Details of tender related information can be viewed/ downloaded from the website http://pmgsytendersbih.gov.in Interested Bidders will have to register with their DSC (Digital Signature Certificate) in the web site http://pmgsytendersbih.gov.in

For further assistance regarding e-tendering process kindly contact-BRRDA, 5th floor Vishweshwaraiya Bhawan, Bailey Road, Patna/ Office of undersigned on any working day.

The undersigned has right to extend or cancel the tender without declaring any reason.

Phone- (0612) 2545243, 8986915061 or email at etenderinghelp@gmail.com

This information is available on **state.bihar.gov.in/prdbihar** also

Executive Engineer
Rural Work Department
Works Division, Sherghati.

PR- 008726 (R W D) 2023-24

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है

आरती कुमारी

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati
23/01/2024

Scanned with CamScanner

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

पत्रांक– 1264 अनु0 गया / दिनांक :– 19/09/2023

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, शेरघाटी।

विषयः– शीर्ष MMGSY (Gen) योजनान्तर्गत S08 Mircha Manjhila कार्य का पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदनोपरान्त लौटाने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–1713 अनु0 दिनांक–16.09.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये शीर्ष MMGSY (Gen) योजनान्तर्गत S08 Mircha Manjhila (Gen) कार्य का पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदनोपरान्त एक प्रति वापस किया जाता है, जो निम्नवत् है :–

क्र0सं0	योजना का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	परिमाण विपत्र अनुमोदन की राशि
1	S08 Mircha Manjhila	1.100	50.13000

अनु0–पुनरीक्षित परिमाण विपत्र एक प्रति में।

विश्वासभाजन

19.9.2023

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

Scanned with OKEN Scanner

आरती कुमारी

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati
23/01/2024

Scanned with CamScanner

अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय,
<u>ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।</u>

पत्रांक:– 47 गया / दिनांक :– 12/01/2024

प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, **शेरघाटी।**

विषय:– शीर्ष MMGSY योजनान्तर्गत कार्य प्रमंडल, **शेरघाटी** के अधीन **S08 To Mircha Manjhila, (Tender Id.-128337)** पथ निर्माण कार्य की निविदा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:– आपका पत्रांक–2202 अनु0 दिनांक–26.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि ग्रामीण कार्य विभाग, **कार्य प्रमडल शेरघाटी** के अधीन **S08 To Mircha Manjhila, (Tender Id.-128337)** पथ निर्माण कार्य का निविदा बिहार लोक निर्माण संहिता 163 के आलोक में इस कार्य मे सफल एवं न्यूनतम दर–दाता **Arti Kumari (BID ID-558562), Vill-Nawadih, Bajaura, Gaya** को उनके द्वारा उद्धत दर, जो परिमाण विपत्र के दर से **(-) 0.0 (शून्य दशमलव शून्य)** प्रतिशत कम पर अर्थात कुल रुपये–**50,13,075.00 (Fifty Lakh Thirteen Thousand Seventy Five)** रुपये मात्र पर कार्य आवंटित किया जाता है।

कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता अग्रधन का सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य मे पूर्वाधारण नही होगा।
3. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिये जमा की गयी राशि एवं निविदा के साथ जमा किये गए संबंधित एन0एस0सी0 / किसान विकास / बैंक गारन्टी आदि का सत्यापन संबंधित डाकघर / बैंक से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित कर संधारित किया जायेगा।
4. एकरारनामा के पूर्व निविदा सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातो की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रुप से प्राप्त कर ली जाएगी।
5. एकरारनामा के समय निविदाकार से मासिक कार्य योजना लिखित रुप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
6. कार्य मे व्यवहृत सामाग्रियो का दर प्रावकलन मे स्वीकृत लीड के आधार पर दिया है, कार्य करते समय अगर इसमे कमी पाई जाती है तो उसके दर मे सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
7. इस कार्य के संबंध मे ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना मे उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त मे जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
8. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद की भाषा की शुद्धता की जॉच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेगे एवं यह सुनिश्चित करेगें कि इसमे कोई त्रुटि नही है।
9. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरिक्षणोपरांत स्थल की स्थिति एवं प्रावकलन मे किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेगे एवं प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारुप मे दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगे साथ ही इस बात से संतुष्ट हो लेगे की पथ हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध है।
10. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेगे एवं उसका अनुपालन सुनिश्चित करायेगे।
11. कार्यपालक अभियंता विशेष रुप से ध्यान देगे कि कार्य मानक विशिष्टियो के अनुरुप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पुरा हो जाए।
12. सफल संवेदक के साथ शीघ्रताशीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत 21 दिनों के अन्दर कर कार्य प्रारम्भ कराया जाए। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को एक निश्चित समय दी जाय और उस समय के अन्दर कागजातों के साथ उपस्थित नही होने पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत किया जाए जिससे कि उचित कार्रवाई की जा सके।
13. अगर संवेदक 15 दिनों के अन्दर एकरारनामा नहीं करते है,तो उनका अग्रधन की राशि जब्त करते हुए काली सूची में डालने की अनुशंसा की जाए।

P.T.O.

Rajesh Kumar by C.O.(D.E.O.) Gaya , Circle.

8

आरती कुमारी

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati
23/01/2024

14 इस कार्य का व्यय शीर्ष MMGSY राशि से विकलित होगा।

15 कार्य का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवीं तारीख तक निश्चित रुप से इस कार्यालय को समर्पित की जाये।

16 एकरारनामा करने से पूर्व संबंधित कार्यपालक अभियंता परिमाण विपत्र के मद मात्रा एवं दर की जॉच पुनः कर लेंगे।

17. एकरारनामा करते समय यह प्रावधान किया जाए कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पूर्णतः दोषी माने जायेंगे।

18 यदि सफल निविदादाता विभाग में निबंधित नहीं हैं तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत्त निबंधन कराना आवश्यक होगा।

19. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नही कराया जा रहा है।

20. इस कार्य पर होने वाले व्यय को वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत हो रखा जाए। एकरारनामा करने से पूर्व संबधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लम्बित नही है।

21 निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र मुख्यालय को भेजी जाए एवं निर्देश प्राप्त होने तक निविदा पर अग्रेतर कार्रवाई स्थगित रखा जाए।

22. एकरारनामा के पूर्व संबधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शेरघाटी निविदा में संलग्न कागजातो के सत्यता की जॉच करा कर सतुष्ट हो लेंगे

23. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागजात अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।

24 संबंधित कार्यपालक अभियंता एस0बी0डी0 के प्रावधानो के अनुरुप संवेदक से एकरारनामा करने के पूर्व वांछित परफारमेन्स गारंटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगें जो एकरारनामा का भाग होगा।

25. कार्यपालक अभियंता अपने स्तर पर पूर्ण रुपेण सन्तुष्ट हो लेंगे कि संवेदक डिवार सूची/काली सूची या लंबित सूची में शामिल न हो।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेरघाटी को तुलनात्मक विवरणी की एक अभिप्रमाणित प्रति अधोहस्ताक्षरी को अभिलेख हेतु उपलब्ध करा देंगे। निदेश दिया जाता है कि संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे तथा उनकी कार्यक्षमता, कुशलता एवं पूर्व से आवंटित कार्यों की प्रगति से संतुष्ट हो लें।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना देंगें।

विश्वासभाजन

11.1.24

अधीक्षण अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया।

10.1.24

आरती कुमारी

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati

23/01/2024

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR AU 908280

19 DEC 2023

(A)STANDARD FROM OF AGREEMENT

Notes on standard Form of Agreement.

The Agreement should incorporate any correction of Modification to the Bid resulting from Corrections of errors (Instructions to Bidders. Clause 26)

STANDARD FROM : AGREEMENT

Rate Approved by S.E GAYA Letter No.-47 WE dated 12.01.2024 on 0.0 % (Zero Percent) below.

Agreement No- 10 **S.B.D:-2023-24**

This Agreement made the 10th **of January-2024** between Executive Engineer, RWD, Works Division, Sherghati (herein after called "the Employer") of the one part, and **Arti Kumari** Wo Manish Kumar Vill Nawadih Bajaura Gaya Bihar Pincode: 824201 called the Contractor" of the other part) Where as the employer is desirous that the contractor Execute **S08 to Mircha Manjhila- 1.100 KM UNDER AMAS BLOCK (Tender Id- 128337)**

[Name and identification number of contract] (hereinafter called the work) and the employer has accepted the Bid by the contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a cost of **Rupees- 5013075.00 (Fifty lakh thirteen thousand seventy five only.)**

आरती कुमारी

23/01/2024

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati

23/01/2024

Scanned with CamScanner

NOW THIS AGREEMENT WITNSSETH AS FOLLOLWS:-

1. In this Agreement word and expression shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the conditions of contract hereinafter referred to and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this agreement.
2. In consideration of he payments to be made by the Employer to the contractor as hereinafter mentioned ,the Contractor herby covenants with the Employer to execute and complete the work and remedy any defects therein conformity in all aspects with the provisions of he contract.
3. The Employer hereby covenants to pay the contractor in consideration of the execution and completion of the work and the remedying the defects wherein the contract price or the such other sum as a may become payable under the provisions of the contract at the times and in the manner prescribed by the contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement Viz:

   (i) Letter of Acceptance

   (ii) Notice to proceed with the works

   (iii) Contractor's Bid

   (iv) Contract Date

   (v) Special conditions of contract and General Conditionsof conctract

   (vi) Specfication

   (vii) Drawing

   (viii) Bill of Quantities, and

   (ix) Any other documents listed in the contract data as forming part of the contract.

   In witness where of the parties there to have caused this agreement to be excuted the day and year first before written.

The common seal of ---

Was hereunto affixed in the presence of :-

Signed, sealed and Delivered by the said--------------------------- 23/01/2024

Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati

In the presence of :

Binding Signature of Employer--- 23/1

Binding Singnature of Contractor---

Note:- Rate approbed by the S.E.,R.W.D, Works Circle, Gaya letter No 47 WE date- 12.01.2024

Date of Work Started- 23/01/2024

Date of Completion- 22/10/2024

आरती कुमारी

23/01/2024
Executive Engineer
R.W.D (W) Div. Sherghati

23/01/2024 23/1

Scanned with CamScanner